



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौराजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 175/टीएल/2025

दिनांक: 11.4.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

राजस्थान IV 4बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, 161, फर्स्ट फ्लोर, वर्धमान क्राउन मॉल, अंबरहाई, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110075 द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर "राजस्थान आरईजेड फेज-IV (पार्ट-4: 3.5 जीडब्ल्यू): पार्ट बी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" (जिसे इसके पश्चात 'परियोजना' कहा गया है) स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1	<p>मेड़ता-II एस/एस पर 2x240 एमवीएआर (765 केवी) एवं 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर सहित एक उपयुक्त स्थान नजदीक मेड़ता (मेड़ता-II सबस्टेशन) पर 765/400 केवी, 2x1500 एमवीए की स्थापना</p> <p>मेड़ता-II एस/एस - एआईएस</p> <ul style="list-style-type: none"> 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए) 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी - 5 नं. 765 केवी आईसीटी बे - 2 नं. 400 केवी आईसीटी बे - 7 नं. 220 केवी आईसीटी बे - 5 नं. 765 केवी लाइन बे : 4 नं. (दौसा एस/एस एवं बाड़मेर-I पीएस सहित 765 केवी अंतरसंयोजन के लिए) 400 केवी लाइन बे : 2 नं. (ब्यावर एस सहित 400 केवी अंतरसंयोजन के लिए) 240 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित, 7x80 एमवीएआर) 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नं. 125 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नं. 400 केवी बस रिएक्टर - 2 नं. 220 केवी लाइन बे: 7 नं. (आरई संयोजकता के लिए) 220 केवी बीसी (2 नं.) बे और 220 केवी टीबीसी (2 नं.) बे 110 एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर यूनिट (सिंगल फेस) - 1 नं. 220 केवी सेक्शनलाइज़र बे (1 सेट) <p>मेड़ता-II एस/एस पर भावी प्रावधान : स्थान के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> बे सहित 765/400 केवी आईसीटी - 4 स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे - 8 बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर : 1 नं. स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 8 नं. 400 केवी लाइन बे - 2 नं. बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 1 नं. 400 केवी सेक्शनलाइज़र बे : 2 सेट बे सहित 400/220 केवी आईसीटी - 1 नं. आरई अंतःक्षेपण के लिए 220 केवी लाइन बे - 1 नं. 220 केवी सेक्शनलाइज़र बे : 1 सेट 220 केवी बीसी (1 नं.) बे और 220 केवी टीबीसी (1 नं.) बे <p>स्टेटकॉम 400 केवी बे सहित (2x+300एमवीएआर, 4x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125एमवीएआर एमएसआर) (2 नं.)</p>	एसपीवी अंतरण से 24 मास (30.12.2026)
2	<p>बाड़मेर-I पीएस - मेड़ता-II 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित बाड़मेर-I पीएस - मेड़ता-II 765 केवी डी/सी लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> बाड़मेर-I पीएस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. मेड़ता-II एस/एस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. बाड़मेर-I पीएस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. मेड़ता-II एस/एस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. बाड़मेर-I पीएस पर 110 एमवीएआर स्पेयर यूनिट (सिंगल फेस) - 1 नं. 	
3	मेड़ता-II - ब्यावर 400 केवी डी/सी लाइन (क्वेद)	
4	<p>मेड़ता-II - दौसा 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित मेड़ता-II - दौसा 765 केवी डी/सी लाइन</p> <ul style="list-style-type: none"> दौसा एस/एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों - 2 नं. मेड़ता-II एस/एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों - 2 नं. दौसा एस/एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. मेड़ता-II पीएस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. 	
5	<p>बाड़मेर-I पीएस एवं दौसा एस/एस पर प्रत्येक 2 नं. 765 केवी लाइन बे</p> <ul style="list-style-type: none"> बाड़मेर-I पीएस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं. दौसा एस/एस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं. 	
6	<p>ब्यावर एस/एस पर 2 नं. 400 केवी लाइन बे</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्यावर एस/एस पर 2 नं. 400 केवी लाइन बे - 2 नं. 	

नोट:

- बाड़मेर-I पीएस का विकासकर्ता बाड़मेर-I पीएस पर 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के 2 नं. के लिए और स्पेयर रिएक्टर यूनिट (110 एमवीएआर) के लिए स्थान सहित 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- स्टरलाइट ब्यावर एस/एस पर 400 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- पावरशिड 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के 2 नंबरों के लिए स्थान सहित दौसा एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 14.1.2025 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 175/टीएल/2025 में दिनांक 11.4.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोचित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- राजस्थान IV 4बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट <http://www.draipi.com> पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 21.4.2025 तक आधेहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 22.4.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पृथ्वी)
सचिव